

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
 सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09022021-225012
SG-DL-E-09022021-225012

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01]	दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 2021/माघ 19, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 314
No. 01]	DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 2021/MAGHA 19, 1942	[N. C. T. D. No. 314

भाग III
PART III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
अधिसूचना

दिल्ली, 8 फरवरी 2021

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2021

सं. 8(3)/2001/डीईआरसी/ 2501.—दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (2001 के अधिनियम 2) की धारा 61; उप-धारा (2) खंड (एन) के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाले अन्य सभी शक्तियों, तथा पिछले प्रकाशन के बाद, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग एतद्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम 2001, (आगे "मुख्य विनियम के रूप में" उल्लेखित) में संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.**—(क) इन नियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2021 के नाम से जाना जाएगा।
- (ख) ये नियम राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. मुख्य विनियम के विनियम 15 ए में संशोधन

मुख्य विनियम के विनियम 15 ए के उप विनियम (8) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

“(8) स्टाफ परामर्शदाताओं की नियुक्ति का कार्यकाल प्रथमतः तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे व्यक्तिगत मूल्यांकन के आधार पर, आयोग के स्वविवेक से, वार्षिक आधार पर अधिकतम छह वर्ष तक के कार्यकाल के लिये बढ़ाया/नवीनीकृत किया जा सकता है।”

मुकेश वाधवा, सचिव, डीईआरसी

नोट:

- (क) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम 2001, मुख्य विनियम को 6 अगस्त, 2001 के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग IV, नं. 177 में प्रकाशित किया गया था।
- (ख) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (सलाहकारों की नियुक्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम 2014, को 12 फरवरी, 2014 के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग III, नं. 239 में प्रकाशित किया गया था।

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 8th February, 2021

**Delhi Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants)
(Second Amendment) Regulations, 2021**

No. 8(3)/2001/DERC/2501.—In exercise of the power conferred under clause (n) of sub-section (2) of section 61 of the Delhi Electricity Reforms Act, 2000 (Act 2 of 2001) the Delhi Electricity Regulatory Commission and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to amend the Delhi Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 2001 (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”), namely:—

1. Short title and commencement.—(a) These regulations shall be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Second Amendment) Regulations, 2021.

(b) These Regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Regulation 15 A of Principal Regulations.

The Sub Regulation (8) of Regulation 15 A of Principal Regulations shall be substituted as under:—

“(8) The tenure for engagement of Staff Consultants shall be initially for a period of three years, which may be extended/renewed on yearly basis subject to maximum tenure of six years, at the discretion of the Commission based on performance of the individual.”

MUKESH WADHWA, Secy, DERC

Note:

- (a) Delhi Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations 2001, Principal Regulations were published on 6th August 2001 in Delhi Gazette, Government of the National Capital Territory of Delhi Extraordinary, Part IV, No.177.
- (b) Delhi Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (First Amendment) Regulations, 2014 were published on 12th February, 2014 in Delhi Gazette, Government of the National Capital Territory of Delhi Extraordinary, Part III, No.239.